सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 **श्रावण,** 1944 **(श०)**

संख्या – 354 राँची, **शुक्रवार,** 29 **जुलाई,** 2022 **(ई०)**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2022

संख्या-05/नि०नि०/ई०एम०आई०-4012/2021-498 (नि०)--झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 (अधिनियम सं०-14/2021) की धारा 20 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ**

(i) ये नियम "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली, 2022" कहा जाएगा।

(ii) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में होगा।

(iii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(iv) जब तक अभिहित पोर्टल विकसित नहीं कर लिया जाता है, तब तक अधिनियम के प्रावधानों को हस्तचालित प्रक्रिया के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यद्यपि ज्योंही अभिहित पोर्टल काम करना प्रारम्भ कर देता है तो हस्तचालित पोषित विरासती डेटा को अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों, में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 (अधिनियम सं0-14/2021);

(ii) ''प्रपत्र'' से अभिप्राय है, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र;

(iii) ''धारा'' से अभिप्राय है, उक्त अधिनियम की धारा;

(iv) ''रिक्ति'' से अभिप्राय है, वैसा पद जहां सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक 40000/- (चालीस हजार) से अधिक न हो;

(v) ''त्रैमास'' से अभिप्राय है, जनवरी माह से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वर्ष के तीन महीने की अवधि

(vi) ''अभिहित पोर्टल'' झारखण्ड रोजगार पोर्टल को शामिल करता है।

(vii) नियोक्ता स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षित श्रेणी में किसी भी स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से पहले अधिनियम की धारा 2 (g) में विनिर्दिष्ट निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(viii) शब्दों की व्याख्या जो परिभाषित नहीं हो;

शब्द या अभिव्यक्ति जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित एवं प्रयुक्त हैं, का मतलब वही होगा जैसा अधिनियम में उन्हें नियत किया गया हो।

3. **अनिवार्य निबंधनः**

(i) प्रत्येक नियोक्ता (झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के धारा 2(e) की परिभाषा के अनुसार) अभिहित पोर्टल पर आधिकारिक राजपत्र में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 की अधिसूचना के 30 (तीस) दिनों के अंदर स्वयं को निबंधित करेगा। प्राधिकृत अघिकारी प्राप्ति की समय एवं तिथि विधिवत उल्लेखित करते हुए पावती पत्र जारी करेगा।

(ii) झारखण्ड राज्य की परिसीमा में अवस्थित प्रत्येक नियोक्ता (झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के धारा 2(e)की परिभाषा के अनुसार झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के तीन महीने के अंदर 40,000/(चालीस हजार) से अनधिक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का अभिहित पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करेगा।

(iii) अभिहित पोर्टल पर निबंधन हेतु इन प्रक्रियाओ में से कोई भी अपनाया जा सकता हैः-

क. **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा**:- नियोक्ता निबंधन प्रपत्र (Annexure I) को भरेगा एवं इसे संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्राधिकृत अधिकारी Annexure Iकी प्राप्ति से तीन कार्य दिवसों के अंदर अभिहित पोर्टल पर निबंधन विवरण अपलोड करेगा। निबंधन फार्म Annexure Iके रूप में संलग्न है।

ख. **स्वयं नियोक्ता द्वारा**:- नियोक्ता निबंधन प्रपत्र भरेगा एवं इसे अभिहित पोर्टल पर स्वयं ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

4. **स्थानीय उम्मीदवारों की बहाली**

(i) **नया नियोक्ताः-**

क. अधिनियम के धारा 2(e)में दी गई परिभाषा के अनुसार, नई परियोजना की शुरूआत के पूर्व सूचित करेगा एवं परियोजना के प्रारम्भ के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यककर्मचारियों की संख्या की जरूरत संबंधी विवरण को प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी अंकित आवश्यक कौशल युक्त मानवबल की उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा। कौशलयुक्त मानवबल की कमी की स्थिति में, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन प्लान नियोक्ता के परामर्श से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रशिक्षण या कौशल, जैसी भी स्थिति हो, परियोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व पूरा कर लिया जायेगा।

ख. नियोक्ता या तो सीएसआर फण्ड से या झारखण्ड कौशलविकास मिशन सोसायटी (JSDMS) की मदद से अथवा किसी दूसरी एजेंसी से प्रशिक्षण या कौशलउन्नयन प्रोग्राम प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कर सकता है।

ग. प्रशिक्षण कैलेन्डर को बहाली केलेण्डर के अनुरूप बनाएगा, ताकि बहाली के समय नियोक्ता (प्रतिष्ठान) को पर्याप्त कौशलयुक्त स्थानीय मानव बल उपलब्ध कराया जा सके।

(ii) **विद्यमान नियोक्ता**:-

विद्यमान मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारम्भ की तिथि से तीस दिनों के अंदर संलग्न प्रपत्र II के विहित प्रपत्र में न्युनतम 75% स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्ययोजना जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा।

(iii) स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के क्रम में संबंधित संस्था की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों के अभ्यावेदन को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी एवं उसके बाद उस जिले के अन्य स्थानीय उम्मीदवारों को।

(iv) स्थानीय उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 2(g) के अनुरूप पात्रता होने पर, इस अधिनियम के लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वयं पोर्टल पर निबंधन करना होगा। स्थानीय उम्मीदवार नीचे वर्णित दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से निबंधन कर सकते हैं।

क. ऑफलाईन तरीका - झारखण्ड के नियोजन कार्यालयों द्वारा

ख. ऑनलाईन तरीका - अभिहित पोर्टल एवं झारखण्ड रोजगार पोर्टल (https://rojgar.jharkhand.gov.in)

5. **छूट** -

(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 से छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता को ऐसी रीति एवं प्रपत्र जो प्रपत्र III के रूप में संलग्न है, द्वारा प्रमाणित करना होगा कि उसने वांछित कौशल, ज्ञान एवं निपुणता के योग्य स्थानीय उम्मीदवार प्राप्त करने हेतु सभी तरह के उपाय कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण -

क. नियोक्ता को बहाली की जाने वाली रिक्त सीटों की संख्या के कम से कम तीन गुने स्थानीय उम्मीदवारों को बुलाना होगा।

ख. बहाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया कम से कम एक बार पूरी होनी चाहिए।

(ii) अभिहित अधिकारी चार (4) या उससे कम रिक्तियों की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की सीधे अनुशंसा कर सकता है।

(iii) अभिहित अधिकारी चार से अधिक एवं पन्द्रह तक की रिक्तियों की स्थिति में, मामले को जांच समिति को भेजेगा तथा जांच समिति दावे की समीक्षा करेगी एवं यदि यह सत्य पाया जाता है तो प्राधिकृत पदाधिकारी अनापत्तिप्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(iv) 15 रिक्तियों से अधिक की स्थिति में अभिहित अधिकारी या तो नियोक्ता द्वारा चयनित उम्मीदवारों को या नियोक्ता के अनुरोध पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण कौशल देने हेतु नियोक्ता को अनुशंसित कर सकता है।

(v) अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित सभी आदेश/सूचना, जैसा भी हो, को उसके पारित होने की तिथि के तीन कार्य दिवसों के अंदर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

6. **नियोक्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनाः-**

प्रत्येक नियोक्ता प्रपत्रIV के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरांत पंद्रह दिनों के अंदर रिक्तियों एवं नियोजन के बारे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा या अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

7. **अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुंच, सत्यापन करने की शक्ति-**

(i) नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 7 से सम्बंधित कोई भी आदेश तीन कार्य दिवसों के अंदर अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा।

(ii) **अभिलेखः-**

क. प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम की धारा 2(g) एवं 4(ii) में यथा परिभाषित के अनुरूप प्रत्येक कर्मचारी की स्थानीय प्रस्थिति संबंधी अभिलेख को संधारित करेगा।

ख. प्राधिकृत अधिकारी को उनकी मांग पर अभिलेखों जैसे (क) स्थानीय प्रस्थिति पंजी (ख) भुगतान पंजी (ग) उपस्थिति पंजी/मस्टर रोल (घ) रिटर्न/प्रतिवेदन और (ड) कोई भी प्रासंगिक पंजी को प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुपालन में प्राधिकृत पदाधिकारी सात दिनों की पूर्व सूचना पर नियोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

8. **अपीलः-**

(i) अधिनियम की धारा 5 के अधीन अभिहित अधिकारी द्वारा पारित किसीआदेश या अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेशसे असंतुष्ट कोई नियोक्ता प्रपत्र Vमें संलग्न विहित प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड सरकार के कार्यालय को अपील कर सकता है।

(ii) नियम 8(1) के अधीन किये गये प्रत्येक अपील के साथ 1000 रू॰ का शुल्क संलग्न होगा। शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाईन बैंक चालान के रूप में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के पक्ष में आहरित अवश्य होना चाहिए।

(iii) नियम 8(1) के अधीन अपील की प्राप्ति के उपरांत अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्त्ता को सुने जाने के अवसर दिए जाने के बाद साठ दिनों के अंदर अपील को निष्पादित करेगा।

(iv) अपीलीय प्राधिकार ऐसे आदेशको निरस्त, पुष्ट या संशोधित कर सकता है।

(v) अपीलीय प्राधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की प्रक्रिया के द्वारा अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेशकी गुण-अवगुण की समीक्षा करेगा।

9. **शास्ति**:-

(i) शास्ति शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाईन बैंक चालान के रूप में संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में आहरित होना चाहिए।

(ii) अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाएगी बशर्ते शास्ति वाली घटना के होने या पता लगने के तीस दिनों के अंदर नियोक्ता को एक सूचना दी गई हो।

10. **राज्य अनुश्रवण समितिः**-

(i) अधिनियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए एक राज्य अनुश्रवण समिति होगी जो निम्नवत् गठित होगी:-

प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशलविकास विभाग, झारखण्ड सरकार	-	अध्यक्ष
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य सचिव
श्रमायुक्त, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
निदेशक, उद्योग, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
मुख्य वॉयलर निरीक्षक, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य

(ii) **राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के कार्य**:-

क. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति अधिनियम से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ राज्यस्तर पर सम्पूर्ण अनुपालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी।

ख. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति झारखण्ड सरकार को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

ग. सदस्य सचिव अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक बैठक को संयोजित करेगा।

11. नियमावली में संशोधन की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित होगी।

12. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड, राँची द्वारा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2022 में मद संख्या -32 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 354 – 50